vinetur

# नैरोबी की अदालत ने बिना लाइसेंस ऑनलाइन शराब बिक्री पर रोक लगाई

अंतरिम आदेश के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्मों को डिलीवरी से पहले खरीदार और प्राप्तकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष सत्यापित करनी होगी

बुधवार, 11 नवंबर 2026



नैरोबी हाई कोर्ट ने केन्या की राजधानी में ऑनलाइन शराब बिक्री के नियमों को अस्थायी रूप से सख्त करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्मों और विक्रेताओं को आदेश दिया है कि वे मादक पेय पदार्थों की सूची देना और उनकी डिलीवरी करना रोक दें, जब तक कि वे लाइसेंस और उम्र की जांच संबंधी आवश्यकताओं का पालन न करें।

सोमवार, 9 नवंबर को मिलिमानी हाई कोर्ट में जारी अंतरिम आदेशों के तहत, अदालत ने नैरोबी सिटी काउंटी में ई-कॉमर्स ऐप, वेबसाइट और अन्य डिजिटल मार्केटप्लेस के जरिए मादक पेय पदार्थों की सूची देने, बिक्री के लिए पेश करने, ऑर्डर लेने, बेचने, आपूर्ति करने और डिलीवरी करने पर रोक लगा दी। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक ऑपरेटर अदालत द्वारा बताए गए सख्त लाइसेंसिंग, उम्र-सत्यापन और उपभोक्ता संरक्षण मानकों का पालन नहीं करते।

अदालत ने कहा कि शराब की बिक्री कराने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्मों के पास कानून के तहत जरूरी लाइसेंस और प्राधिकरण होने चाहिए। उसने यह भी निर्देश दिया कि शराब की बिक्री सिर्फ तय किए गए, सीमित पहुंच वाले डिजिटल सेक्शन के जरिए हो। शराब खरीदने की सेवाओं तक पहुंचने से पहले ग्राहकों को पासवर्ड, व्यक्तिगत पहचान संख्या या ऐसे ही किसी माध्यम से सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ये आदेश भुगतान के समय उम्र की एक बार जांच करने से आगे जाते हैं। अदालत ने कहा कि शराब की बिक्री तक पहुंच देने से पहले प्लेटफॉर्मों को भरोसेमंद तरीके से यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक की उम्र कम से कम 18 वर्ष है। उसने लेन-देन पूरा होने से पहले उम्र का अलग से सत्यापन करने और शराब की डिलीवरी या सुपुर्दगी से पहले प्राप्तकर्ता की उम्र की एक और स्वतंत्र पुष्टि करने का भी आदेश दिया।

फैसले में ऑनलाइन प्रचार को भी निशाना बनाया गया है। अदालत ने डिजिटल विज्ञापनों, हाइपरलिंक और अन्य प्रचार माध्यमों पर रोक लगाई, जिनसे उपयोगकर्ता जरूरी प्रमाणीकरण और उम्र-सत्यापन प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सकते हों। एक अलग निर्देश में, अदालत ने ऐसे हाइपरलिंक, इंटरैक्टिव विज्ञापनों और मिलते-जुलते डिजिटल माध्यमों के जरिए मादक पेय पदार्थों के विज्ञापन, विपणन और प्रचार पर रोक लगाई, जो पहले से लागू सुरक्षा उपायों के बिना उपभोक्ताओं को शराब की सूची या खरीद के विकल्पों तक पहुंचाते हैं।

यह मामला David Biketi Wati ने County Government of Nairobi, Nairobi City County Alcoholic Drinks Control and Licensing Board और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर किया था। अदालत ने आवेदन को अत्यावश्यक माना और व्यापक चुनौती पर सुनवाई आगे बढ़ने तक इसके कुछ हिस्सों पर अंतरिम राहत दी।

अदालत की तय समय-सीमा के तहत याचिकाकर्ता को दो दिनों के भीतर अदालत के दस्तावेज, निर्देश और अंतरिम आदेश प्रतिवादियों तथा संबंधित पक्षों को सौंपने का निर्देश दिया गया। इसके बाद प्रतिवादियों और संबंधित पक्षों को दस्तावेज मिलने से सात दिनों के भीतर अपने जवाब दाखिल कर उन्हें संबंधित पक्षों को सौंपने होंगे। अनुपालन की पुष्टि और आगे के निर्देशों के लिए मामला 18 नवंबर को फिर अदालत में आएगा।

ये आदेश नैरोबी में ऑनलाइन शराब बिक्री की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर तत्काल दबाव डालते हैं। ऐप, वेबसाइट और डिलीवरी साझेदारों पर निर्भर बीयर, वाइन और स्पिरिट विक्रेताओं को उत्पादों को दिखाने के तरीके, उम्र-प्रतिबंधित सेक्शन तक ग्राहकों की पहुंच और दरवाजे पर डिलीवरी कर्मचारियों द्वारा पहचान की जांच करने की प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे उन डिजिटल मार्केटप्लेस की अनुपालन संबंधी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, जहां तीसरे पक्ष के विक्रेता शराब बेचते हैं।

यह फैसला शराब की ऑनलाइन बिक्री के तौर-तरीकों पर बढ़ते न्यायिक और नियामकीय ध्यान की ओर इशारा करता है, खासकर तब जब बिक्री सामान्य रिटेल ऐप या डिजिटल मार्केटप्लेस के जरिए होती है, जहां किराने का सामान, रेस्तरां के ऑर्डर और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं। खरीद से पहले और डिलीवरी के समय—दोनों चरणों में उम्र जांचने पर अदालत का जोर दिखाता है कि उसकी चिंता सिर्फ ऑर्डर देने वाले व्यक्ति को लेकर नहीं, बल्कि इस बात को लेकर भी है कि लेन-देन पूरा होने के बाद शराब किसी नाबालिग के हाथ में तो नहीं पहुंच सकती।

ये पाबंदियां शहरी ई-कॉमर्स बाजारों में पेय कंपनियों और वितरकों के सामने मौजूद एक व्यापक मुद्दे को भी रेखांकित करती हैं। यदि अदालतें और नियामक अधिक सख्त नियंत्रण की मांग करते हैं, तो प्लेटफॉर्मों को अपने डिजिटल स्टोरफ्रंट में बदलाव करने, शराब के विज्ञापनों से जुड़े लिंक सीमित करने और डिलीवरी कर्मचारियों को हर बार एक समान तरीके से उम्र सत्यापित करने का प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ सकती है। मामले में अदालत के अंतिम फैसले से पहले ही इससे नैरोबी में मादक पेय पदार्थों के ऑनलाइन विपणन और वितरण का तरीका बदल सकता है।

फिलहाल तत्काल प्रभाव स्पष्ट है : नैरोबी में ऑनलाइन शराब बिक्री और प्रचार तभी जारी रह सकते हैं, जब ऑपरेटर अदालत की लाइसेंसिंग और पहुंच-नियंत्रण संबंधी शर्तें पूरी करें और कानूनी चुनौती अदालत के समक्ष लंबित रहे।